न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 155/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/273**
दायर दिनांक :– 25.06.2025 **निर्णय दिनांक :– 06.01.2026**

1. भवंरी पत्नी जगदीशराम जाति जाट निवासी कटि़या तहसील खींवसर जिला नागौर
2. इन्द्रकंवर पत्नी दीवानसिंह जाति राजपूत निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. प्रेमसिंह पुत्र खुमानसिंह जाति राजपूत निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र नवलाराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. पुनमचन्द पुत्र नवलाराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. बरसिंगा पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
4. भगवानाराम पुत्र नवलाराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
5. लक्ष्मीदेवी पत्नी मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
6. सोहन पुत्र भोजाराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
7. सोहनलाल पुत्र नवलाराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
8. कमलादेवी पत्नी बिसनाराम जाति जाट निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
9. घेवरराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. पेमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
11. मूलाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
12. कानाराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी कृष्णनगर तहसील बापिणी जिला फलोदी
13. नानकराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी कृष्णनगर तहसील बापिणी जिला फलोदी
14. हजारीराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी कृष्णनगर तहसील बापिणी जिला फलोदी
15. किशनाराम पुत्र थानाराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
16. दोपी पत्नी थानाराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
17. पुनी पुत्री थानाराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
18. फरसाराम पुत्र थानाराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
19. साउ देवी पुत्री थानाराम जाति विश्नोई निवासी जालदड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की काश्त की भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 5.6251 हैक्टेयर सरहद मौजा जालदड़ा पटवार हल्का केलनसर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपनी उक्त भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके, पशुओ के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणीयों में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा प्राकृतिक पैदावार का उपयोग एवं उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब घंटियाली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू. अ.) बाप ने आदेश कमांक 235/236 दिनांक 13.03.2023 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 29.03.2023 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण एवं अन्य पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में उक्त भूमि की पैमाईश मुस्तकिल बिंदु से कर मौका फर्द तैयार कर प्रार्थीगण एवं उपस्थित मौतबीरान को पढ़ कर सुनाया गया। उक्त पैमाईश फर्द नियमानुसार तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों ओर खूंटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 19 ने प्रार्थीगण की हद में खूंटे रोपने से मना कर दिया और उक्त पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया। जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थी को अपुरर्णीय क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थी ग्राम जालदड़ा पटवार हल्का केलनसर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 3 रकबा 5.6251 हैक्टेयर भूमि की दिनांक 29.03.2023 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार प्रार्थीगण अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 20 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 20 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम जालदड़ा पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 3 रकबा 5.6251 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी की हद में पैमाईश फर्द दिनांक 29.05.2023 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सूचित करते हुवे किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 19 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा ग्राम जालदड़ा पटवार हल्का केलनसर तहसील

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 3 रकबा 5.6251 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 29.05.2023 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जालदड़ा पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 3 रकबा 5.6251 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 29.05.2023 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा जालदड़ा पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 3 रकबा 5.6251 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 29.05.2023 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर राशि 500/– रूपये का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी, बाप, जिला फलोदी (राज.)
सत्यमेव जयते